कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना (म0प्र0)
निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 28/13–14 दिनांक 10–9–13

मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्न लिखित कार्य हेतु पृथक पृथक मोहरबंद निविदाये प्रपत्र 'अ' पर अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जबलपुर मण्डल जबलपुर के सी0एस0आर0 जो दिनांक 22.6.1995 से प्रभावशील एवं निविदा आमंत्रण सूचना की दिनांक तक संशोधन सहित दर पर जो लोक निर्माण विभाग में नवीन पंजीकृत प्रणाली के अंतर्गत 'सी' एवं इससे ऊपर की श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पन्ना में दिनांक 24–9–13 को 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित ठेकेदारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी । कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 23–9–13 तक 5.30 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं ।

क0	ग्रुप	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत रू0 लाखमें	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	–	पन्ना जिले के निम्न लिखित विकासखंडों के अन्तर्गत ग्रामों के 150 मिमी0 एवं 125/115 मिमी0 ब्यास के नलकूपों में पत्थर,मिटटी, बोल्डर आदि से भर गये है उन नलकूपों की सफाई करने एवं हैण्ड पंप स्थापित कर चालू करना आदि कार्य						
	पी–1	विकास खण्ड पन्ना	10	1.17	2340/–	1000/–	सी0 एवं उससे ऊपर	एक माह वर्षा काल छोडकर
	ए–1	विकास खण्ड अजयगढ़	10	1.17	2340/–	1000/–	तदैव	–तदैव–
	जी–1	विकासखंड गुनौर	10	1.17	2340/–	1000/–	तदैव	–तदैव–
	डब्लू–1	विकासखंड पवई	10	1.17	2340/–	1000/–	तदैव	–तदैव–
	एस–1	विकासखंड शाहनगर	10	1.17	2340/–	1000/–	तदैव	–तदैव–

कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 23.9.2013 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते है । उक्त तिथि के बाद प्रपत्र प्रदाय नही किये जावेगें । कोरे निविदा प्रपत्र डाक से मंगाने हेतु रूप्ये 200.00 अतिरिक्त जमा करना होगा, किन्तु डाक द्वारा देरी होने या गुम हो जाने पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

सामान्य शर्ते

. कोरे निविदा पत्र केवल उन ठेकेदारों को दी जावेगी, जो आवेदन पत्र के साथ निम्न लिखित दस्तावेज /जानकारी प्रस्तुत करेगें :–

1. लोक निर्माण विभाग में नवीन पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण होने संबंधी वैध प्रमाण पत्र की प्रति ।
2. निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने के पूर्व हैण्ड पम्पों की स्थिति जरूर देख ले, बाद में इसकी अनभिज्ञता होने के कारण कोई भी दावे मान्य नही होगें । आवश्यक मशीन धारकों को ही निविदा प्रपत्र प्रदाय किये जावेगें ।
3. यदि भरे पटे नलकूप को आधी–अधूरी सफाई की जाती है एवं नलकूप असफल रहता है, तब ठेकेदार को किये गये कार्य का कोई भुगतान नही किया जावेगा ।
4. स्केलेशन चार्जेस किसी भी दशा में देय नही होगा । चाहे कार्य की समय अवधि किसी भी कारण से क्यों न बढाई गई हो ।
5. निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा और ऐसे लिफाफे निविदाकारों को यथा समय वापिस कर दिये जावेगें ।
6. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर., एन.एस.सी. मान्य की जावेगी । बैंक गारंटी मान्य नहीं होगी।
7. तकनीकी एवं निविदा से संबंधित विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में देखी जा सकती है ।
8. निविदाकारों की बैधता अवधि वित्तीय प्रस्ताव खोलने के दिनांक से 180 दिवस होगी ।
9. यह संक्षिप्त निविदा सूचना अनुबंध का एक भाग होगा ।
10. नलकूप की मात्रा घटाई,बढाई जा सकती है ।
11. नलकूपों को पूर्ण गहराई तक साफ करना होगा ।
12 नलकूप की गहराई कार्य प्रांरभ करने के पूर्व तथा बाद में लेने होगें जो माप पुस्तिका में अंकित की जावेगी ।
13. नलकूप के बोर में निकाली सामग्री का लेखा–जोखा बतलाना होगा ।
14 नलकूप की सफाई ऐसे बोर की की जाय, जिसकी जल क्षमता पर्याप्त हो ।
15. निविदा प्राप्ति हेतु आवेदन के साथ ठेकेदारों को निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे :–
    (i) उचित श्रेणी में वैध पंजीयन की प्रति
    (ii) पार्टनरशिप डीड की प्रति
    (iii) टिन नम्बर की प्रति
    (iv) पैन कार्ड की प्रति एवं आयकर चुकता प्रमाण पत्र
    (v) हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र
16. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्य कर रहे ऐसी फर्म/ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र हों जिनके द्वारा भरे–पटे नलकूपों की सफाई का कार्य अधूरा छोड़ा गया हो तथा ऐसे ठेकेदार जिनके द्वारा विभाग से कार्य हेतु प्राप्त की गई सामग्री से अधिक सामग्री का उपयोग कर शेष सामग्री न तो विभाग को वापस की गई और न ही उसका मूल्य विभाग में जमा किया, तत्संबंधी विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है । ऐसी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी राजसात मानी जावेगी ।
17. मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर **अधिनियम की धारा 35 (1)** के अनुसार सकर्म संविदा पर 2 प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर की कटौती देयको से की जावेगी तथा प्रपत्र में 42 में प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । निविदाकार का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत होना अनिवार्य है (टिन नम्बर) अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
18. कार्य, लक्ष्य एवं आवंटन की उपलब्धता के आधार पर दिया जावेगा ।
19. शासन द्वारा निविदा स्वीकृति दिनांक तक कोई संशोधन लागू होता है तो मान्य करने की बाध्यता ठेकेदार की रहेगी ।

20. कर्मकार उपकर अधिनियम के 1996 के अंतर्गत निविदाकार को इस विभाग द्वारा चिन्हांकित रजिस्ट्रीकरण कर्ता अधिकारी के यहां पंजीयन कराना आवश्यक है । पंजीयन न होने की दशा में अनुबंध के पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
21. मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल के निर्देशानुसार 1 प्रतिशत उपकर ठेकेदार के बिल से काटा जावेगा ।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)

पृ0क्र0 /3201/व0ले0लि0/का0यं0/लो0स्वा0यां0/खण्ड/13 पन्ना दिनांक : 10.9.13

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ।
3. कमिश्नर, सागर संभाग सागर ।
4. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर ।
5. कलेक्टर जिला पन्ना
6. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड/छतरपुर/टीकमगढ/दमोह/सागर
7. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग पन्ना
8. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पन्ना/पवई
9. एन.आई.सी. पन्ना
9. मेसर्स ————————————————————
10. नोटिस बोर्ड

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)